

Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.
Udyog-Bhawan, Tilak-Marg, Jaipur-302005

No: IPI/M&C/141/2011/ 2173
Dt: 18th November, 2011

07 Dec.

OFFICE ORDER (33/2011)

Sub: Production incentive package in industrially backward districts – Karauli, Sawaimadhopur, Dholpur, Baran & Pratapgarh – Implementation of budget announcement made in State Budget 2011-12.

An agenda item on the subject matter was placed before the IDC vide item (4) of its meeting held on 19.10.2011. The committee has accorded approval for granting production incentive package in industrially backward districts – Karauli, Sawaimadhopur, Dholpur, Baran and Pratapgarh from RIICO's own funds. A copy of the scheme for granting production incentive is enclosed herewith as **Annexure-A**.


(Chetan Deora)
Advisor (Infra)

क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011–2012

1. योजना का नाम :

यह योजना “औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना (पिछड़े जिले) 2011–2012” कहलाएगी।

2. योजना का उद्देश्य :

उक्त योजना के माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांरा तथा प्रतापगढ़ में स्थानीय एवं बाहरी उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से जिन उद्यमियों ने उक्त जिलों में रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन प्राप्त कर लिया गया है उन्हें भी निश्चित तिथि तक उद्योग स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उक्त के फलस्वरूप इन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में नये उद्योग शीघ्र स्थापित होंगे तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे।

3. पात्रता :

- (अ) वे सभी उद्यमी जिन्होंने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांरा तथा प्रतापगढ़ में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन दिनांक 01.04.2011 एवं उसके पश्चात् कराया है एवं ऐसे आवंटित भूखण्ड पर उद्योग स्थापित कर 31.03.2013 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देते हैं।
- (ब) वे सभी उद्यमी जिन्होंने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांरा तथा प्रतापगढ़ में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन प्राप्त किया है परंतु दिनांक 31.03.2011 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है, अगर अपना वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 30.09.2012 तक शुरू कर देते हैं।

4. प्रोत्साहन राशि :

- (अ) बिन्दु संख्या 3 (अ) के अनुसार पात्रता रखने वाले उद्यमियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी :—
 - (1) वे उद्यमी जिन्होंने 31.03.2012 तक उद्योग स्थापित कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें भुगतान की गई भूमि की कीमत में 50 प्रतिशत की छूट पुर्णभरण के रूप में देय होगी।

- (2) वे उद्यमी जिन्होंने 31.03.2013 तक उद्योग स्थापित कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें भुगतान की गई भूमि की कीमत में 25 प्रतिशत की छूट पुर्नभरण के रूप में देय होगी।
- (ब) बिन्दु संख्या 3 (ब) के अनुसार पात्रता रखने वाले उद्यमियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जायेगी :—
- (1) जो आवंटी 31.03.2012 तक आवंटित भूखण्ड पर उद्योग स्थापित कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें भुगतान की गई भूमि की कीमत की जमा राशि पर 50 प्रतिशत राशि पुर्नभरण के रूप में देय होगी।
- (2) जो आवंटी 30.09.2012 तक आवंटित भूखण्ड पर उद्योग स्थापित कर वाणिज्यिक कर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देते हैं, उन्हें भुगतान की गई भूमि की कीमत की जमा राशि पर 25 प्रतिशत राशि पुर्नभरण के रूप में देय होगी।
5. प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया :
- (1) योग्य उद्यमी उनसे संबंधित प्रोत्साहन राशि हेतु पात्रता की तिथि से 30 दिवस में रीको के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपना क्लेम मय संबंधित दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करेंगे।
- (2) रीको के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उक्त क्लेम का योजना के प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षण करेंगे। यदि परीक्षण के उपरांत किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उक्त क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित उद्यमी/आवंटी को तदनुसार 15 दिवस में सूचित करेंगे व कमियों का निराकरण करवायेंगे।
- (3) उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत रीको क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित उद्यमी/आवंटी को प्रोत्साहन राशि का चैक प्रेषित करते हुए संबंधित उद्यमी/आवंटी से राशि प्राप्त करने संबंधी रसीद प्राप्त करेंगे।